संख्या-16/2021/142/सैंतीस-2-2021-1(7)/2017टीसी

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक-12 फरवरी, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (रा.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-205/35-21/वे.का./2020-21, दिनांक-14.01.2021 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-67/2020/1942/सैंतीस-2-2021-1(7)/2017टीसी, दिनांक-25.09.2020 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-02-राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम-0210-उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (रा.यो.) के मानक मद 03-मंहगाई भत्ता में सम्भावित बचतों से उक्त लेखाशीर्षक के ही मानक मद 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में रू0-1.60 लाख (रूपये एक लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि संलग्न प्रपत्र बी.एम.-9 के अनुसार पुनर्विनियोजित करते हुए उक्त लेखाशीर्षक के निम्नलिखित मानक मदों में कुल रू0-5.08 लाख (रूपये पाँच लाख आठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
03-मंहगाई भत्ता	2.28
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.10
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.70
14-मोटर गाडियों का क्रय	0.10
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	0.10
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.10
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.10
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान (पुनर्विनियोग)	1.60
योग-	**5.08**

(रूपये पाँच लाख आठ हजार मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना के मार्गदर्शक सिद्धान्तों (गाइडलाइन्स) के अनुरूप करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(5) सामग्री क्रय में एम.एस.एम.ई., वित्त एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/प्रक्रिया का नियमानुसार अनुपालन किया जाये।

(6) योजनान्तर्गत व्यय धनराशि के संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि किसी अन्य योजना से द्विरावृत्ति न हो।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा तक ही किया जायेगा।

(8) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(9) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों सहित मितव्ययिता के संबंध में जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(10) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण विवरण सहित यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) अनुमोदित की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।

(12) आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(13) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(14) जिस प्रयोग हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(15) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-24.03.2020, 07.04.2020, 11.04.2020 एवं 18.05.2020 तथा शासनादेश दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-02-राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम-0210-उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (रा.यो.) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-1-154/दस-2021, दिनांक-11.02.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - प्रपत्र बी.एम.-9 ।

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-16/2021/142(1)/सैंतीस-2-2021- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।